Sugar-cane Crop in Punjab

1726. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the extent of damage done in 1956-57 and 1957-58 to the sugar-cane crop in Punjab by red rot disease?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): The incidence of red rot disease to the sugarcane crop in the Punjab is not appreciable. The extent of damage in 1956-57 and 1957-58 is reported to be about 100 and 150 acres respectively, scattered throughout the State, out of the total area of 4·92 lakhs under sugarcane.

दिल्ली में उर्वरक

१७२७. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के किसानों को उर्वरक खरीदने के लिये अल्पावधि ऋण दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन शर्तों पर दिये गये हैं ; और

(ग) यह ऋण प्रति एकड़ कितना दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अजित प्रसाद जैन) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन में उर्वरकों को बांटने के मौजूदा तरीक के अनुसार, दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेडको, कर्जे पर उर्वरक दिये जाते हैं, जो किसानों को उनकी समितियों द्वारा उधार पर बांटे जाते हैं और किसानों से कर्जों की वसूली सीधी समितियों द्वारा की जाती है । इसलिये उर्वरकों को खरीदने के लिये किसानों को अल्पकालीन ऋण नहीं दिये जाते हैं ।

उर्वरक

१७२८. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य के किसानों में सुपरफास्फेट उर्वरक को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई अनुदान देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितने किसानों को ; और

(ग) उनको किस प्रकार से सहायता दी जायगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अजित प्रसाद जैन) : (क) जी हां ।

(ख) संख्या मालूम नहीं है ।

(ग) उर्वरकों की बांट, दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, दिल्ली द्वारा की जाती है, जिससे ७३ सदस्य सहकारी समितियां संबद्ध हैं ।

दिल्ली के समस्त किसानों की, जो सहायता मांगते हैं, उनको सहकारी समितियों द्वारा उर्वरक सब्सिडाइज्ड रेट्स (subsidised rates) पर मिलते हैं । इस समय फास्फेटिक उर्वरकों की लागत पर २५ प्रतिशत की दर से सहायता दी जा रही है । १९५७-५८ में ९२ टन सुपरफास्फेट को बांटने के लिये ५५२० रुपये की सहायता मंजूर की गई है।

Improvement of Flood-affected Areas in Punjab

1729. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the number and nature of schemes under consideration for permanent improvement of flood-affected areas such as Narot Jaimal Singh in District Gurdaspur in Punjab State?

The Minister of Irrigation and Power (Shri S. K. Patil): The Government of Punjab who were consult-

ed, have stated that they have taken up for execution a scheme, estimated to cost Rs. 13·3 lakhs, for the construction of a flood protection embankment along the right bank of the river Ravi for protection of Chak Andhar tract and that efforts are being made to complete it before the next flood season. The scheme will afford protection to Narot Jaimal Singh area in the Gurdaspur district.

Extra-Departmental Post Office at Kiratpur in District Hoshiarpur

1730. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1727 on the 16th of December, 1957 and state whether the Extra Departmental Branch Office at Kiratpur in Hoshiarpur District has since been upgraded?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): Kiratpur extra departmental branch office was converted into an extra departmental Sub-office with effect from 13-1-58.

Jagadhri Railway Workshop

1731. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of employees at present working in the Jagadhri Railway Workshop;

(b) the number of employees out of them belonging to Scheduled Castes; and

(c) the categories in which the persons belonging to Scheduled Castes are working?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) 2 235 on 31-1-1958.

(b) 200

(c) 1. Clerk	1
2. Senior Chargeman	1
3. Mistries	6
4. Skilled Artisans	24
5. Semi-skilled staff	53
6. Unskilled staff	115

अंग्रेजी और हिन्दी संकेतकार

१७३२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक भाषा, अर्थात् अंग्रेजी और दो भाषाओं, अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी के संकेतकारों के वेतनक्रमों में क्या अन्तर है और इस अन्तर के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या हिन्दी संकेतकारों के वेतन-क्रम आदि में सुधार करने का प्रश्न विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) संकेतकारों के वेतन-क्रमों में कोई अन्तर नहीं है। ऐसे डाक-संकेतकारों, तार संकेतकों (Telegraphists) और तार पालों (Telegraph masters) को, जिन्होंने २५ सितम्बर, १९५३ तक १० वर्ष से अधिक नौकरी पूरी कर ली है तथा जिन्होंने हिन्दी मोर्स कोड में योग्यता प्राप्त कर ली है या जो इसमें योग्यता प्राप्त कर लेंगे, ५० पये का मानदेय (honorarium) दिया जाता है। देश में हिन्दी-तार-व्यवस्था को व्यापक करने के कार्य में आसानी पैदा करने के लिये अंग्रजी के अलावा हिन्दी मोर्स कोड में योग्यता प्राप्त करने का प्रलोभन देने के प्रयोजनार्थ संकेतकों को ५० रुपये का यह मानदेय दिये जाने की मन्जूरी दी गयी है।

(ख) जी नहीं।